कार्यवृत्त

बुधवार, 01 फाल्गुन, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 20 फरवरी, 2019)

खण्ड–53

अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या –2 के स्थानीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने एवं उनके स्थान पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन करने विषयक तारांकित प्रश्न 02 का सरकार से स्पष्ट उत्तर न आने पर मा0 सदस्यों के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि इस विषय पर विधान सभा सदस्यों की चिन्ताओं और भावनाओं का सम्मान करते हुए विधान सभा की एक सात सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा करते हैं। जो पूरे विषय का परीक्षण करके सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

1. श्री खजानदास — विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड़ अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में खुले में बह रही जीर्ण–शीर्ण सीवर लाइनों एवं ओवर फ्लो हो रहे मैनहॉल को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में।

12 बजकर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय चौनलिया में आवासीय परिसर के ऊपर भारी भरकम चीड़ के वृक्षों को न काटे जाने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

3. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी — विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत क्वैराला लिफ्ट पेयजल योजना का कार्य पूर्ण न होने से क्षेत्र की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

4. श्री दीवान सिंह बिष्ट — विधान सभा क्षेत्र रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निदान हेतु नये ओवरहैड टैंक व नलकूपों का निर्माण न होने से क्षेत्र की ग्रामीण जनता में व्याप्त भारी असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

5. स्वामी यतीश्वरानन्द — विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र कांगड़ी, गाजीवाली व श्यामपुर में बरसात के मौसम में किसानों की सैकड़ों हैक्टेयर जमीन बह जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

6. श्री केदार सिंह — विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वैकल्पिक ओजरी कुन्साला स्यानाचट्टी मोटर मार्ग की घोषणा पर अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री मनोज रावत — जनपद रूद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, देहरादून एवं पिथौरागढ में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों को रूपये 10000 मात्र मानदेय से वंचित रखने पर सरकार का ध्यानाकर्षण किये जाने के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी एक्ट, 2013 अध्याय–23 धारा–395 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिरचन्दी में श्मशान घाट की चार दीवारी निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह ग्राम एवं पो0–सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम रूहालकी में भूमिया खेडे का सौन्दर्यीकरण और सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सतपाल पुत्र श्री सोम, ग्राम–रूहालकी, पो0–भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम तेज्जुपुर में रविदास मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में'' श्री विजयपाल पुत्र श्री गंगाराम, ग्राम–तेज्जुपुर, पो0–चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सभा भौर्षा के सकलानीकान–टूडी–कनाला पेयजल योजना के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मोहन चन्द्र शर्मा पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश, ग्राम भौर्षा, पो0 बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम सभा टीपर में कौन्ता–टीपर पेयजल लाईन के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में'' श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री मकौल सिंह, ग्राम टीपर, पो0 बडौन, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरीश सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के विरूद्ध दिनांक 22 मार्च, 2018 के उपवेशन में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री, के अर्द्ध0शा0प0स0 –2118/ विशे0 हनन/xi/2018, दिनांक 7 सितम्बर 2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1703/उन्तीस–रा0स0/2017–18 दिनांक 29 मई, 2018 के द्वारा यह आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि दिनांक 27 जनवरी, 2018 को मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा श्री हरीश सिंह, माननीय सदस्य, धारचूला के साथ प्रोटोकाल के उल्लंघन के सम्बन्ध में हुए घटनाक्रम के सम्बन्ध में उनके द्वारा तत्समय मुख्य विकास अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी का कथन था कि माननीय सदस्य, धारचूला द्वारा तत्कालीन माननीय सदस्य, धारचूला श्री हरीश रावत जी (मा0पूर्व मुख्यमंत्री) की विधायक निधि से स्वीकृत मदकोट में वनीकरण के कार्य में धनराशि अवमुक्त करने की अपेक्षा की गई, जिस पर माननीय सदस्य को अवगत कराया गया कि इस कार्ययोजना हेतु विकास खण्ड मुनस्यारी से कार्ययोजना का आंगणन रू0 1.00 लाख का प्राप्त हुआ है, जिसमें वनीकरण कार्य के सापेक्ष सुरक्षा दीवार की अधिक लागत प्राविधानित की गई, जो तत्कालीन माननीय पूर्व सदस्य के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप नहीं है। इस कारण से उक्त कार्ययोजना हेतु स्वीकृत प्रदान नही की गई तथा धनराशि अवमुक्त नहीं की गई। यह जानकारी दिये जाने पर माननीय सदस्य असंतुष्ट होकर अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन की धमकी देते हुए सभागार से बाहर चले गये।

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों से जानकारी प्राप्त की गई, जिनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के उक्त कथन की पुष्टि की गई।

उपरोक्त आख्या से स्पष्ट हुआ है कि मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा माननीय सदस्य धारचूला के साथ प्रोटोकाल का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, के दृष्टिगत इस स्तर पर विशेषाधिकार हनन का कोई प्रकरण उत्पन्न नहीं होता है।

श्री हरीश चन्द्र, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री मंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह ने उक्त निर्णय पर असन्तोष व्यक्त किया। मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि ये प्रोटोकाल के उल्लंघन का विषय है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मा0 अध्यक्ष जी ने विनिश्चय दे दिया है। परम्परानुसार सदन इसको स्वीकार करता है। इस पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े हो कर विनिश्चय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।

श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–313 के अन्तर्गत अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी। यह सदन परम्पराओं से चलता है। इस

विषय पर यदि मा0 सदस्य को कोई बात रखनी है तो श्री अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर बात कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली को समय पर भेजे गये आवेदनों के निराकरण हेतु स्मृति पत्रों की अवहेलना के संबंध में दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय पेयजल मंत्री, उत्तराखण्ड से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सन्दर्भित प्रकरण में श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य, विधान सभा का क्षेत्र उत्तराखण्ड पेयजल निगम की कर्णप्रयाग शाखा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी नोटिस दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 के साथ संलग्न उनके पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2017 में 16 बिन्दु निराकरण हेतु इंगित किये हैं, जिसके बिन्दु संख्या 01 में 43 तथा बिन्दु संख्या 02 से 16 तक में 15 आवेदन है, इस प्रकार कुल 58 आवेदनों पर कार्यवाही किया जाना इंगित किया गया है। माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के नोटिस के क्रम में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर से आख्या प्राप्त की गई। अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर के पत्र संख्या 862/सा0–3/04, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, कर्णप्रयाग के अनुसार माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2017 में इंगित 58 आवेदनों के अतिरिक्त 17 अन्य आवेदन शाखा कर्णप्रयाग को सन्दर्भित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 75 आवेदन पत्र माननीय सदस्य द्वारा कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 3764/ सामान्य–03/99, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 एवं पत्र संख्या 3889/सामान्य–03/108, दिनांक 03 नवम्बर, 2018 द्वारा कुल 71 आवेदन पत्रों पर आख्या माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है, जबकि 04 आवेदन पत्र शाखा कार्यालय में प्राप्त न होने के कारण इन पर वस्तुस्थिति से माननीय सदस्य विधान सभा को अवगत नहीं कराया जा सका है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग द्वारा उनके कार्यालय में कार्मिकों की तैनाती कम होने एवं लम्बी अवधि तक अधिशासी अभियन्ता के पास 02 शाखाओं का कार्यभार होने के कारण माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के पत्रों पर उत्तर देने में विलम्ब हुआ, जिस हेतु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा खेद भी व्यक्त किया है।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विभिन्न पत्रों पर विलम्ब से आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को भविष्य हेतु सचेत कर दिया गया है। माननीय सदस्य जी द्वारा इंगित प्रकरणों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं

अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में खेद व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधिनियों द्वारा प्रेषित पत्रों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय सदस्यों एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों को वस्तुस्थिति से समयान्तर्गत अवगत कराने के निदेश भी पुनः दिये गये हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या उन्तीस (1)/2018 – (विशेषाधिकार हनन–1)/2018, दिनांक 21 मार्च, 2018, द्वारा माननीय सदस्य, विधान सभा के उक्त विभिन्न प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड, जल संस्थान से इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या/ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, चमोली द्वारा माननीय सदस्य के पत्रों पर समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई, फलस्वरूप उनके विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय पेयजल मंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने का अनुरोध किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री हरीश सिंह, श्री राजकुमार, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री प्रीतम सिंह की कुल 06 सूचना प्राप्त हुई हैं। इनमें से वे श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री हरीश सिंह, श्री राजकुमार तथा श्रीमती ममता राकेश की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

पुनः मा0 नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने नियम–310 की सूचना को लेने पर बल दिया। श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा ह्रदयेश तथा अन्य मा0 सदस्यों की नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

राज्य के एस0एस0बी0 स्वयं सेवकों(गुरिल्लों) को पेंशन तथा विभिन्न विभागों में समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

आल्पस फार्मा0 फैक्ट्री, पातालदेवी, अल्मोड़ा के श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के मध्य 01 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

एयर हैरिटेज, यात्री विमानों की खस्ताहाल हालत के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

गोविन्द बल्लभ पन्त इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी में अस्सिटैंट प्रोफेसर परीक्षा में धांधली के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर, भगवानपुर में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। समाज कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 44 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में जंगली जानवरों के आतंक से प्रतिवर्ष काश्तकारों की फसलों को हो रहे नुकसान विषयक नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री राजकुमार, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री हरीश सिंह, हाजी फुरकान अहमद, श्री मनोज रावत तथा श्री आदेश सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

03 बजकर 50 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश के भाषण से आरम्भ हुई। निम्नांकित सदस्यों ने विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान,
2. श्री प्रीतम सिंह,
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
4. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल,
5. श्री राजकुमार,
6. श्रीमती ममता राकेश,

श्रीमती ममता राकेश के भाषण के मध्य 06 बजकर 05 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

7. श्री मनोज रावत,
8. श्री हरीश सिंह,
9. हाजी फुरकान अहमद,
10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
11. श्री नवीन चन्द्र दुम्का।

नेता सदन ने आय–व्ययक पर उत्तर देते हुए भाषण दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने चीनी मिल सितारगंज एवं बाजपुर हेतु धन की व्यवस्था तथा सिडकुल रूद्रपुर में कार्मिको द्वारा यूनियन बनाये जाने की मांग करने पर उन्हें फैक्ट्रीयों से निकाले जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। वित्त मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 20 फरवरी, 2019 की बैठक में दिनांक 21 फरवरी, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

21 फरवरी, 2019

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण **(15 मिनट)**

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा)।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा की सिफारिश की सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री उमेश शर्मा (काऊ) की सूचना जो कि रायपुर विधान सभा क्षेत्र में धन आवंटन के अभाव में अपूर्ण पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्रीमती मुन्नी देवी शाह की सूचना जो कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत माह जून वर्ष 2018 में आयी भीषण दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल पुलों, सम्पर्क मार्गों के पुनर्निमाण न होने व आवासीय मकानों, दुकानों एवं बहे हुए वाहनों के मुआवजा न मिलने पर व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 में राज्य के 50 बैड से कम वाले हास्पिटलों को एक्ट के दायरे से बाहर रखे जाने के सम्बन्ध में, श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में रजिस्ट्रार आफिस खुलवाये जाने के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।